भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4308

दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को उत्तर के लिए

महिलाओं में प्रसवोत्तर अवसाद

4308. श्रीमती राजाथी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में माताओं में प्रसवोत्तर अवसाद की बढ़ती घटनाओं को समझने के लिए कोई शोध कराया है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रसवोत्तर अवसाद के दर्ज मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत प्रसवोत्तर मानसिक-स्वास्थ्य जांच और परामर्श पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन-कौन से विशिष्ट उपाय किए गए हैं/कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के समन्वय से, प्रसवोत्तर अवसाद की पहचान और प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय रूपरेखा या दिशानिर्देश तैयार करने की योजना बना रहा है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए, भारत सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित करती है, जिसमें प्रसवोत्तर माताएँ भी शामिल हैं। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में कार्यान्वित करने की स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। डीएमएचपी के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में अन्य बातों के अलावा, बाह्य रोगी (आउटपेशेंट) सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनोसामाजिक पहल, गंभीर मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्तियों को निरंतर देखरेख और सहायता, नशीली दवाओं का उपयोग, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त, जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली अंतर्रोगी (इन-पेशेंट) सुविधा का प्रावधान है।

सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.83 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उन्नत किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की

जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल कया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों (एमएनएस) के लिए विभिन्न विभागों के लिए परिचालन दिशानिर्देश और प्रशिक्षण नियमावली जारी की गई हैं। एनएमएचपी के तृतीयक देखरेख घटक के तहत, मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ाने और तृतीयक स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टताओं में 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को भी सहायता प्रदान की है।

देश में प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित महिलाओं का विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एनआईएमएएनएचएस) द्वारा 2016 में देश के 12 राज्यों में किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस) के अनुसार, 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में अवसादग्रस्तता की व्याप्तता लगभग 5.72% है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, सहायक नर्स और दाई (एएनएम) तथा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ती (एएसएचए) नियमित रूप से गृह दौरे करके प्रसवोत्तर माताओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है, का आकलन करती हैं। स्वास्थ्य केंद्र से छुट्टी मिलने के बाद, एएनएम और आशा (एएसएचए) व्यापक प्रसवोत्तर देखरेख सुनिश्चित करने के लिए छह प्रसवोत्तर गृह दौरे करती हैं, जिसमें प्रसवोत्तर अवसाद की जांच भी शामिल है। इस मूल्यांकन में लक्षणों की पहचान करना और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) और/या विस्तारित पीएमएसएमए के तहत माता को उपयुक्त स्वास्थ्य केंद्र में भेजना शामिल है। प्रसवोत्तर देखरेख अनुकूलन योजना के तहत, आशा (एएसएचए) को समय पर प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

देश में 47 सरकारी मानसिक अस्पताल हैं, जिनमें 3 केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान अर्थात राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची शामिल हैं। सभी एम्स में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं तक पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को एक "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया है। 3 मार्च, 2026 तक, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस (एमएएनएएस) सेल स्थापित करके टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर दी हैं। हेल्पलाइन नंबर पर लगभग 34.34 लाख कॉल का जवाब दिया जा चुका है।

सरकार ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (10 अक्टूबर, 2024) के अवसर पर टेलीमानस मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू किया है। टेलीमानस मोबाइल एप्लिकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं, जैसे- तंदरुस्ती और मानसिक विकार, के लिए सहायता प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है। सरकार ने टेलीमानस के अंतर्गत वीडियो परामर्श सुविधा भी शुरू की है, जो पहले से उपलब्धऑडियो कॉलिंग सुविधा का एक उन्नत रूप है।

*****